भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 652

जिसका उत्तर 22 जुलाई, 2026 को दिया जाना है

शक्ति नीति के तहत कोयला आवंटन

652. डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष 2025 के दौरान भारत में पारदर्शी रूप से कोयले का दोहन और आवंटन करने की योजना (शक्ति) नीति के विभिन्न घटकों के अंतर्गत पेश किए गए और वास्तव में आवंटित कोयले की कुल मात्रा का श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) शक्ति नीति के अंतर्गत प्रदान किए गए कोयला लिंकेज से वास्तव में कितना विद्युत उत्पादन हो रहा है;

(ग) संशोधित शक्ति नीति के अंतर्गत कोयला लिंकेज के आवंटन के लिए क्या मानदंड और समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) घरेलू कोयला संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए लिंकेज नीलामी के अंतर्गत उपलब्ध कराए जाने वाले कोयले की उठान (अपटेक) में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

कोयला और खान राज्य मंत्री

(श्री सतीश चन्द्र दुबे)

(क) कैलेंडर वर्ष 2025 के दौरान, कोयला कंपनियों द्वारा नीलामी तंत्र के माध्यम से विद्युत क्षेत्र के उपभोक्ताओं को पूर्ववर्ती शक्ति नीति, 2017 के अनुच्छेद ख (iii) और ख (viii) (क) के अंतर्गत कोयला लिंकेज प्रदान किए गए हैं। कोल इंडिया लिमिटेड ने कैलेंडर वर्ष 2025 के दौरान पूर्ववर्ती शक्ति नीति के अनुच्छेद ख (iii) और अनुच्छेद ख (viii) (क) के अंतर्गत नीलामी के अनेक दौर आयोजित किए हैं तथा इन नीलामियों में पेश किए गए कोयले की मात्रा की तुलना में बुक की गई कोयले की मात्रा का ब्यौरा निम्नानुसार है:

शक्ति नीति	दौर/भाग	पेश की गई मात्रा (मि.ट.*)	बुक की गई मात्रा (मि.ट.*)
अनुच्छेद ख (iii)	दौर 7 से 9	86.81	23.81
अनुच्छेद ख (viii) (क)	वितरण XXII और XXIII	61.29	26.47

* *मिलियन टन*

इसके अतिरिक्त, कैलेंडर वर्ष 2025 के दौरान, विद्युत मंत्रालय की सिफारिशों के साथ, पूर्ववर्ती शक्ति नीति के अनुच्छेद ख (i) के अंतर्गत 140 मेगावाट, अनुच्छेद ख (iv) के अंतर्गत 5320 मेगावाट और संशोधित शक्ति नीति, 2025 के विंडो-I के अंतर्गत 11260 मेगावाट के लिए कोयला लिंकेज आवंटित किए गए हैं।

(ख) शक्ति नीति के अंतर्गत देश में तापीय विद्युत संयंत्रों को आवंटित संपूर्ण कोयला लिंकेज विद्युत उत्पादन हेतु हैं।

(ग) संशोधित शक्ति नीति, 2025 के अंतर्गत सभी विद्युत उत्पादन कंपनियां, नीति में उल्लिखित निबंधनों और शर्तों तथा संशोधित शक्ति नीति, 2025 के अंतर्गत कोयला लिंकेज के आवंटन/निर्धारण हेतु कार्यप्रणाली में निर्धारित मानदंडों, समय-सीमाओं के अनुसार, कोयला लिंकेज प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

(घ) : घरेलू कोयला संसाधनों के इष्टतम उपयोग और उठान हेतु लिंकेज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विद्युत क्षेत्र हेतु कोयले की लिंकेज नीलामियों में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए)/विद्युत मंत्रालय के कोयला खपत मानदंडों के अनुसार कोयला कंपनियों द्वारा पर्याप्त मात्रा में कोयले की पेशकश की जाती है। इससे विद्युत क्षेत्र को कोयले की पर्याप्त आपूर्ति होती है, जिसके परिणामस्वरूप तापीय विद्युत संयंत्रों का इष्टतम उपयोग होता है।
